भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3433

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल सीटें

†3433. श्री जगदीश शट्टरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780, स्नातक (यूजी) सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

i. जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।
ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का एक घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" से संबंधित है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। दूसरा घटक नए एम्स की स्थापना से संबंधित है, जिसमें 22 एम्स को अनुमोदन दिया जा चुका है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और/या स्नातक (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए बुनियादी ढांचे/संकाय संबंधी मानदंडों में छूट दी है, जिसमें शामिल हैं:

i. मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अनिवार्य भूमि की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
ii. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या तेईस (23) से घटाकर बीस (20) कर दी गई है।
iii. बुनियादी ढांचे, उपकरण और जनशक्ति में वृद्धि के लिए चरणबद्ध और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की अनुमति दी गई है।
iv. पीजी पाठ्यक्रम अब दो (2) सीटों के साथ शुरू किए जा सकते हैं, जिनमें न्यूनतम बीस (20) बिस्तर होंगे और वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता के बिना केवल दो संकाय होंगे, जबकि पहले तीन संकाय और एक वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता होती थी।
v. चिकित्सा संस्थानों को यूजी पाठ्यक्रम शुरू करने के एक वर्ष बाद पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
vi. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है ।
vii. शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियोजन के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।
viii. एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से एमएससी और पीएचडी (प्रासंगिक चिकित्सा) योग्यता वाले गैर-चिकित्सा स्नातकों को संकाय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
ix. गैर-शिक्षण परामर्शदाता/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी और डिप्लोमा धारकों को सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र बनाया गया है।

*****